FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 914

/F.S./ NOC/2024

New Raipur, Dated- 30 12 - 24

Certified that the- MILESTONE ACADEMY at- KHAPRI, DURG (C.G.)- comprised of- basement(s) and 3 FLOORS owned/occupied by- MILESTONE ACADEMY, KHAPRI DURG (C.G.) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 30-12-2024 in the presence of- PRINCIPAL, MILESTONE ACADEMY, KHAPRI DURG (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII With effect from- 30-12-2024 for a period of One year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1-

2- as attached

3-4-

Issued on - 30-12-2024 (date of issue) at -Raipur- (place) by

Signature with seal :--- Training Operation

Name Designation

Name & Address of Department/Office:-----

To

PRINCIPAL, MILESTONE ACADEMY, KHAPRI DURG (C.G.),

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

(reasons to be recorded)

(Name and designation of the authorized signatory)*The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf

ागर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ DUR00015232 /फायर सर्विस / एन॰ओ॰सी॰ / 2024 / दुर्ग

दिनांक: 30/12/2024

प्रमाणित किया जाता है कि श्री MILESTONE ACADEMY, KHAPRI, DURG के परिसर MILESTONE ACADEMY, KHAPRI, DURG, CHHATTISGARH PIN- 491001 में श्थित MILESTONE ACADEMY का इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री नागेंद्र कुमार सिंह द्वारा श्री सुशांत पनिग्राही की उपस्थिति में दिनांक 30/12/2024 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबन्धित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

<u>शर्तें</u>

सभी अग्नि सुरक्षा से संबन्धित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।

3 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जीरा हान के पश्चीत मधन में पिरतार एवं जन्म कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।

4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।

5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।

6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से MILESTONE ACADEMY में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः MILESTONE ACADEMY, KHAPRI, DURG की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।

जारी दिनांक : 30/12/2024

निदेशक देविंग आप्येशन अस्प्रियामा एवं अस्प्रतकातीय सेवार्य त्रारा संदा एवं नागरिक सुरक्ष, उन्हासक

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर